



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

" प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को **10 वर्ष के कारावास व ₹10,000** के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत अ0सं0-712/07, धारा-304/34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम जनपद हमीरपुर** द्वारा अभियुक्त **सियाराम पुत्र प्यारेलाल यादव** निवासी ग्राम बरुआ थाना सुमेरपुर हमीरपुर को **10 वर्ष के कारावास व ₹10,000 के अर्थ दण्ड से** दण्डित किया गया।



एडीजीसी
जगदीश अनुरागी



विवेचक उ0 नि0 -
श्री श्यामनारायण
सरोज



पैरोकार सुमेरपुर
का0 जगत पटेल